17.07.

न्याय आपके द्वार, 2017
राजस्व लोक अदालत कैम्प कोटडी
15/17
वादी मांगीलाल उपस्थित।
प्रतिवादी अधिकारी तह० देसूरी उप० mangilal
पत्रावली एवं उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया। वादी एवं प्रतिवादी अधिकारी को सुना गया। वादी द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 88-92 (A) -188 R.T. Act प्रस्तुत कर वादग्रस्त भूमि मौजा कोटडी के ख०नं० 864 रकबा 1.1500 हैक्टर किता खातेदारी के खातेदारी अधिकारों की घोषणा एवं स्थाई आज्ञप्ति का अनुतोष चाहा गया है। राजस्व रेकार्ड एवं वादी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में निर्णित डी०बी० सिविल स्पे० अपील संख्या 522/1997, 523/1997, 524/1997 525/97, 526/97 एवं 527/97 जो अपील समुक्त रूप से दिनांक 2/12/08

उपखण्ड अधिकारी
देसूरी (पाली)

को निर्णित है, के निर्णय का
अवलोकन किया गया। जाहिर
है कि वादग्रस्त भूमि सिलीग
प्रकरण सरकार बनाम फतेहसिंह
में सक्षम प्राधिकारी द्वारा
पारित निर्णयानुसार एवं वादी
द्वारा क्रय किये हस्तान्तरण को
मान्य नहीं किये जाने से प्रतिवादी
तहसीलदार, देसूरी द्वारा सिलींग
नियमो के अन्तर्गत अधिग्रहित
की जाकर राजकीय सिवायचक
दर्ज की गई। सिलीग प्रभावित
अप्रार्थी फतेहसिंह उस निर्णय के
विरुद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी
एवं माननीय राजस्व मण्डल मे
दायर अपीले भी, उक्त न्यायालयो
द्वारा अस्वीकार की गई। माननीय
राजस्व मण्डल द्वारा दिनांक 31.3.87
को अपील (सिलीग अपील) खारिज
होने के पश्चात् उपखण्ड अधिकारी
बाली के आदेश दिनांक 29.4.87
के हेसेबी अप्रार्थी फतेहसिंह द्वारा
प्रभावित तिथि को पारित कृषि

उपखण्ड अधिकारी
देसूरी (पाली)

मेरी भूमि अधिग्रहित करने के आदेश दिये एवं उक्त आदेश की पालना में अन्य कृषकों के साथ वादग्रस्त भूमि भी अधिग्रहण की गयी।

इस संबंध में यह भी उल्लेखित है कि माननीय उच्च न्यायालय में अन्य हस्तान्तरितियों द्वारा एस०बी० एवं डी० बी० में स्पेशल अपीलें प्रस्तुत की गई, परन्तु वादी की ओर से कोई अपील माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की गई। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा D.B. एस० अपील संख्या 523/97 निर्णय दिनांक 2-12-2008 के अनुरूप राहत प्रदान करने के लिए पूर्व में वादी मांगीलाल पुत्र नूना द्वारा पूर्व में दिनांक 20-1-2011 को आवेदन-पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था, जो प्रार्थना-पत्र आवश्यक कार्यवाही

खण्ड अधिकारी
देसूरी (पाली)

P.T.O.

के लिए तहसीलदार
देसूरी (प्रतिवादी) को
भिजवाया गया। प्रतिवादी
अधिकारी द्वारा बाद जांच
उक्त स्टे० अपील में वादी
के अपीलांट नहीं होने से
प्रार्थना अस्वीकार वादी को
प्रतिवादी तहसीलदार, देसूरी
द्वारा उनके पत्रांक 91 दिनांक
25.1.2011 से सूचित भी
किया गया था। जहां तक
माननीय उच्च न्यायालय द्वारा
पारित उक्त निर्णय दिनांक
8-12-2008 का प्रश्न है, माननीय
उच्च न्यायालय ने संबंधित
अपीलार्थीयों, जिसमे वादी
सम्मिलित नहीं है, उनको किये
गये हस्तान्तरणो के अनुरूप
यदि अपीलान्ट सद्भावी, क्रेता
स्पष्ट है, जो सिलींग अधिनियम हित
भूमि का आवंटन एवं आवंटन
नियमो के अन्तर्गत संबंधित
सक्षम अधिकारी को चार

उपखण्ड अधिकारी
देसूरी (पाली)

③

सप्ताह की अवधि में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये थे। माननीय उच्च न्यायालय ने खातेदारी अधिकार प्रदान करने अथवा वाद 88 R.T. Act संस्थापित कर अनुतोष दिये जाने के कोई निर्देश नहीं दिये है।

वादग्रस्त भूमि सिलींग नियमों के अन्तर्गत अधिग्रहित होने से उस वाद के माध्यम से वादी खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। वादी सिलींग भूमि आवंटन के लिए सक्षम भू-आवंटन कमेटी के समक्ष अपना आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर सकता है।

वाद वादी उपरोक्त स्थिति के अनुसार परिपोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है। निर्णय सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(रानी (पाली) राज.)